



दिनांक-03.08.2019

## आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश सूचना

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश पत्र संख्या-629/सत्तर-1-2019-यू0आ0,10/2019, दिनांक-03 जुलाई, 2019 के अनुक्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए वर्तमान में लागू योजना/नीति से आच्छादित नहीं हैं, जो अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाना है।

अतः EWS के अर्न्तगत बी0ए0, बी0 कॉम, एम0ए0 एवं एम0एस0सी पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के वे विद्यार्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय में आवेदन करते समय EWS के अर्न्तगत आवेदन नहीं किया है, वे EWS के प्रमाण-पत्र के साथ अपने आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिनांक- 16.08.2019 को काउन्सलिंग हेतु उपस्थित हों।

स्थान: एमेनिटीज ब्लॉक (बैंक ऑफ बड़ौदा स्थित भवन)

समय: प्रातः 09:30 बजे

(प्रो० अवनीश चन्द्र मिश्र)  
निदेशक-प्रवेश  
गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम  
शैक्षिक सत्र 2019-20

### प्रतिलिपि :-

- 1 मा० कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- 2 कुलसचिव, विश्वविद्यालय को सूचनार्थ।
- 3 जनसम्पर्क अधिकारी विश्वविद्यालय।
- 4 समस्त प्रवेश प्रभारी, बी0ए0, बी0 कॉम, एम0ए0 एवं एम0एस0सी विश्वविद्यालय।
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6 गार्ड फाइल।

भवदीय

(प्रो० अवनीश चन्द्र मिश्र)  
निदेशक-प्रवेश  
गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम  
शैक्षिक सत्र 2019-20